रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 1978/चैत्र 17, 1900
No 122] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 1978/CHAITRA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(अप्रत्यक्ष कर खण्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1978

सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 228 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये 7 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होंगे।

2 सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 की अनुसूची में क्रम संख्या 58 और स्तंभ (2) में की उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)
"58	रत्न और जवाहरात (जिस में जड़े हुए या बिना जड़े हीरे भी हैं) और पूर्णतः या भागतः एलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं ।"

[सं० 1/फा० सं० 600/5800/78-डी० बी० के०]

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 1978

Customs and Central Excise

G.S.R. 228 (E) :—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback Ist Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force from 7th April, 1978.

2. In the schedule to the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, for serial number 58 and the entries relating thereto in column 2, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)
"58.	Articles made wholly or partly of alabaster or gold or silver."

[No. 1/F. No. 600/5800/78-DBK.]

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978